

**न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(196)2021/

दिनांक : 18/10/2021

निमित्त,

तहसीलदार  
राशमी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान-2021

विषय :- बाबत पत्थरगढ़ी।

1. केदार केशव पति शम्भु सिंह राजपुत नि. चरावती
2. जीवन सिंह पति नारद सिंह राजपुत नि. चरावती
3. प्रदीप सिंह पति शम्भु सिंह राजपुत नि. चरावती
4. शम्भु केशव पति नारद सिंह राजपुत नि. चरावती
5. रूप सिंह पति ..... सिंह राजपुत नि. चरावती
6. लक्ष्मण सिंह पति नारद सिंह राजपुत नि. चरावती
7. शम्भु सिंह पति नारद सिंह राजपुत नि. चरावती

प्रार्थीगण

बनाम

1. शोपाल लाल पति मिठ लाल जोर नि. करीशडा
2. चानी लाल पति हाथ गाड़ी नि. करीशडा
3. लक्ष्मी लाल पति हाथ गाड़ी नि. करीशडा
4. बदन लाल पति हाथ गाड़ी नि. करीशडा
5. शम्भु लाल पति हाथ गाड़ी नि. करीशडा
6. नारायण लाल पति मिठ लाल जोर नि. करीशडा
7. तहसीलदार राशमी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 196/2021

**--: प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी ::--**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500...../- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा ..... पटवार हल्का ... तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या ..... की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों कि दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे तथा कमिश्नर फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।



सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी),  
राशमी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

